सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-2336/MTUR/1/2025-RU-II**

दिनांक: 22.07.2026

महानिदेशक,
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली-110001।
ई-मेल: sanjayrastogi115@nic.in

विषय: आरक्षित रिक्ति होने के बावजूद, अभिलेखागार के सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु किसी ST उम्मीदवार पर विचार न किए जाने के संबंध में सुश्री संजुक्ता तालुकदार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश भवन, C-45, G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र – 400051 का दिनांक 16.05.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सुश्री संजुक्ता तालुकदार,
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,
विदेश भवन, C-45, G ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई, महाराष्ट्र – 400051

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - **NCST/SER-2336/MTUR/1/2025-RU-II**

सुश्री संजुक्ता तालुकदार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर पदोन्नति में विलंब एवं सेवा अवधि में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026

सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. प्रकरण याचिकाकर्ता सुश्री संजुक्ता तालुकदार द्वारा दिनांक 16.05.2025 को प्रस्तुत याचिका के आधार पर आयोग के संज्ञान में आया। याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं, ने अभ्यावेदन में उल्लेख किया कि उन्हें दिनांक 16.04.2012 को नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया में असिस्टेंट आर्काइविस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 29.03.2019 को आर्काइविस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्ज़ (रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन्स) के पद पर पदोन्नति हेतु उनका वैध दावा अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन में उल्लेख किया कि वर्ष 2020 के भर्ती नियमों के अंतर्गत आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने के बावजूद वर्ष 2025 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित दो पद वर्ष 2023 से रिक्त पड़े हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सेवा अवधि में छूट का प्रस्ताव जुलाई 2023 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में लंबित है तथा इस बीच अन्य अधिकारियों को प्रभारी आधार पर पदस्थ किया गया है।

4. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 29.05.2025 एवं 15.07.2025 के पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्ष 2025 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया में है। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.05.2017 के अनुसार पदोन्नति हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि रिक्ति वर्ष की 01 जनवरी होती है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की पात्रता दिनांक 01.01.2026 को निर्धारित होती है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. विभाग ने यह भी अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आवश्यक सेवा अवधि में छूट का प्रस्ताव दिनांक 27.07.2023 से संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विचाराधीन है तथा मंत्रालय द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित दो पद उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में वर्ष 2023 से रिक्त हैं तथा उन्हें वर्ष 2025 की रिक्तियों में अग्रेषित किया गया है। डॉ. मानस रंजन मिश्रा एवं सुश्री ऋचा पंत को केवल प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर प्रभारी के रूप में कार्य आवंटित किया गया है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2025 के प्रत्युत्तर में अवगत कराया गया कि उन्होंने दिनांक 29.03.2025 को आवश्यक छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.08.2021 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सेवा अवधि में छूट प्रदान कर वर्ष 2025 की विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7. प्रकरण में पूर्व में दिनांक 14.10.2025 को माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा की अध्यक्षता में सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग द्वारा संस्कृति मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सेवा अवधि में छूट के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी।

8. सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों, प्रतिवेदनों तथा पूर्व अनुशंसाओं का परीक्षण किया गया। आयोग ने पाया कि अभ्यावेदक की मांग को उनके विभाग द्वारा उचित मांगा गया तथा उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः यह प्रकरण सफल प्रकरण के रूप में दर्ज किया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेशित किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत के महानिदेशक द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि सुश्री संजुक्ता तालुकदार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सहायक निदेशक अभिलेखागार (रिकॉर्ड्स एवं प्रकाशन) के पद पर पदोन्नति संबंधी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। पूर्व सुनवाई में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के उपरांत संस्कृति मंत्रालय एवं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से वर्ष 2026 की रिक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यवाही संपन्न की गई। यूपीएससी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर दिनांक 13.03.2026 को डीपीसी आयोजित की गई, जिसके आधार पर सुश्री संजुक्ता तालुकदार को अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सहायक निदेशक अभिलेखागार (रिकॉर्ड्स एवं प्रकाशन) के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने पदोन्नति स्वीकार कर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत हैं। महानिदेशक ने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई में उपस्थित होने से छूट का अनुरोध करते हुए उप निदेशक डॉ. के.सी. जेना को आयोग के समक्ष प्रकरण का प्रतिनिधित्व करने हेतु नामित किया है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसा/निर्णय की :-

(i) याचिकाकर्ता को पदोन्नति प्रदान कर दी गई है। अतः सफल प्रकरण के रूप में दर्ज करने के बाद यह पत्रावली बंद की जाती है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/SER-2336/MTUR/1/2025-RU-II

दिनांक: 17.06.2026

विषय: आरक्षित रिक्ति होने के बावजूद, अभिलेखागार के सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु किसी ST उम्मीदवार पर विचार न किए जाने के संबंध में सुश्री संजुक्ता तालुकदार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश भवन, C-45, G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 का दिनांक 16.05.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

महानिदेशक,
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली-110001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	केशव चन्द्र जेना	उप निदेशक	9999824717	के.सी.जेना
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				